ब्रजेंद्र सिंह यम्बेम

बनाम

भारत संघ और अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 8323/2016)

26 अगस्त, 2016

[अनिल आर. दवे, वी. गोपाल गौड़ा और सी. नागप्पन, जे.जे.]

सेवा कानूनः

केंद्रीय व्यवहार सेवा (पेंशन) नियम। 1972- r.9(2)(बी)(ii) गुंजाइस- दो अनुशासनात्मक कार्यवाहियों का दायरा-पहला हथियारों की गुमशुदगी से संबंधित और दूसरा निषिद्ध पदार्थों गांजा की आपूर्ति से संबंधित- अपीलकर्ता के खिलाफ शुरू किया गया जब वह सेवा में था -उच्च न्यायालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था-में इस बीच परभाषाविद् सेवा से सेवानिवृत्त हो गए-उनकी सेवानिवृत्ति के अनुसार मंजूरी मिलने के बाद नई विभागीय जांच शुरू की गई भारत के राष्ट्रपति u/r.9(2)(b)(i) 1972 के नियमों का -एकल न्यायाधीश उच्च न्यायालय ने नई विभागीय कार्यवाही को वर्जित माना r.9(2)(b)(ii) के अनुसार सीमा द्वारा-उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ एकल न्यायाधीश के निर्णय को दरकिनार करते हुए-अपील पर, आयोजित किया गयाः के अनुसार आर.9(2)(ख)(ii) अनुशासनात्मक कार्यवाहियां सीमितता से वर्जित हैं। और इसलिए रद्द किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं-हालाँकि,अपचारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता, में अनुशासनात्मक प्राधिकरण को अनुच्छेद u/Art. के तहत शक्ति का प्रयोग करने का निर्देश दिया जाता है।अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने के लिए-भारत का संविधान -अनुच्छेद 142

न्यायालय द्वारा अपीलों को आंशिक रूप से अनुमति देते हुए,अभिनिर्धारित किया गया:-

अभिनिर्धारित: 1. आर का एक अवलोकन r.9(2) सीसीएस (पेंशन) नियम,1972 यह स्पष्ट करता है कि यदि अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जाती है अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध जब वे सेवा में थे, तब राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी भारत सरकार को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ऐसी कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता है।यह भी स्पष्ट है कि इस तरह की मंजूरी इस संबंध में नहीं होगी एक घटना जो चार साल से अधिक पहले हुई थी ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाहियों की स्थापना।[पैरा 33] [351-एच;352-ए-बी]

2. यह एक निर्विवाद तथ्य है कि अपीलकर्ता 31.08.2006 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश रिट याचिका क्रमांक 720/2002 में दिनांकित 18.05.2006 निर्णय और आदेश का तरीका। मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द कर दिया गुम हुए हथियारों और गोला-बारूद से संबंधित। हालांकि, स्वतंत्रता अनुशासनात्मक प्राधिकरण/पूछताछ अधिकारी को दिया गया था प्रतियों की आपूर्ति के बाद नए सिरे से अनुशासनात्मक जांच करें अपीलकर्ता को जाँच की कार्यवाही।ने कहा कि एकल न्यायाधीश के निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई थी रिट अपील क्रमांक 45/2006 के माध्यम से प्रत्यर्थीगण जिसमें खण्ड पीठ ने 07.11.2006 दिनांकित निर्णय और आदेश द्वारा बरकरार रखा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का आदेश।केवल यह था इसके अनुसार नए आरोप पत्र की तारीख 22.08.2008 अपीलकर्ता को जारी किया गया था, जो स्पष्ट रूप से परे था चार वर्ष की सीमा की अवधि, जैसा कि इसके तहत प्रावधान किया गया है सीसीएस (पेंशन) नियम,1972. [पैरा 34] [352-बी-डी]

3. प्रतिबंधित गांजे से जुड़े मामले में भी,निर्णय और आदेश के माध्यम से उच्च न्यायालय का एकल न्यायाधीश रिट याचिका क्रमांक 805/2005 में दिनांक 16.06.2006 को रद्द कर दिया गया आरोप पत्र के तहत विभागीय जांच दिनांकित 14.05.1998. खण्ड पीठ ने रिट अपील को खारिज कर दिया प्रत्यर्थीगण द्वारा निर्णय और आदेश के माध्यम से दायर रिट अपील क्रमांक 25/2007 के दिनांकित 13.11.2008 और एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा।यह इसके अनुसार नई विभागीय जांच थी प्राप्त करने के बाद 16.10.2009 पर अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 9(2)(बी)(i) के तहत भारत के राष्ट्रपति से मंजूरी [पैरा 34] [352-ई-एफ]

4. यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि किसी विशेष कार्य को करने के लिए किसी भी अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाता है तो कार्य उस तरीके में किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं।[पैरा 35] [353-बी]

बाबू वर्गीज और अन्य बनाम केरल बार काउंसिल और अन्य।

(1999) 3 एससीसी 422:1999 (1) एस.सी.आर. 1121-पर निर्भर,

5. उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ विफल रही इस तथ्य की सराहना करें कि उच्च न्यायालय द्वारा स्वतंत्रता प्रदान की गई थी W.A.(C) सं. 45/2006 में अपक्रमांक निर्णय और दिनांकित 07.11.2006 आदेश के माध्यम से। अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण को 2006 का आदेश अपीलकर्ता के विरुद्ध।इस प्रकार, प्रतिवादी की कोई आवश्यकता नहीं थी अनुशासनात्मक प्राधिकरण आरोप पत्र को वापस लेगा अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के उद्देश्य से दिनांकित 14.05.1998 समान आरोपों पर अपीलकर्ता के खिलाफ नए सिरे से कार्यवाही भारत के राष्ट्रपति से मंजूरी का आदेश प्राप्त करना सी. सी. एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 9 (2)

(बी) (1) के तहत आवश्यक।उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ अपने निर्णय और आदेश में दिनांकित 05.08.2013 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। मामले का पहलू, कि द्वारा दी गई पूर्व मंजूरी उपरोक्त नियमों के तहत राष्ट्रपति वास्तव में द्वारा वर्जित थे सीमा।इस प्रकार, इसने पहुंचने में कानून में गंभीर त्रुटि की है। इस निष्कर्ष पर कि प्रतिवादी अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने संचालन के लिए भारत के राष्ट्रपति से उचित मंजूरी प्राप्त की उसी के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही आरोप, जो कार्रवाई के तहत प्रदान की गई सीमा द्वारा वर्जित थी सी. सी. एस. (पेंशन) नियम, 1972 का नियम 9 (2) (बी) (2)खण्ड पीठ द्वारा विवादित निर्णय और आदेश उच्च न्यायालय को कानून में कायम रखना की अनुमति नहीं दी जा सकती है।[पैरा 37][354-सी-एफ]

6. राष्ट्रपति द्वारा मंजूर किए जाने का आदेश भारत जैसा कि सी.सी.एस. (पेंशन) 1972 के नियम 9(2)(बी)(1) के तहत प्रदान किया गया है उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए है। अपीलकर्ता, राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का एक वैधानिक प्रयोग है। उक्त नियम भारत के राष्ट्रपति द्वारा अभ्यास में बनाए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रदत्त विधायी शक्ति भारत का संविधान, अनुच्छेद 77(3), 166(3) के तहत शक्तियाँ और 309 पूरी तरह से अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और नहीं किया जा सकता है अनुच्छेद 309 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय की तुलना में भर्ती के लिए संविधान और नियम और विनियम तैयार करना और ऐसे पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें केंद्र सरकार या किसी राज्य के मामलों के संबंध में सरकार।[पैरा 39] [356-बी-डी]

परम पूज्य केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु और अन्य बनाम .केरल राज्य और अन्य (1973) 4 एससीसी 225: 1973 (0) पूरक एस.सी.आर. 1 - अनुसरण किया गया।

बी.एस. यादव बनाम हरियाणा राज्य ए.आई.आर 1981 एस.सी. 561:1981 एस.सी.आर.1024; संपत प्रकाश बनाम जम्मू कश्मीर राज्य AIR 1970 SC 1118: 1970 SCR 365 -निर्भर पर

7. अनुशासनात्मक प्राधिकरण में कार्रवाई असमर्थनीय है इस कारण से कानून कि सी सी.एस. (पेंशन) की व्याख्या नियम, 1972 जो प्रत्यर्थीगण द्वारा बनाए जाने की मांग की गई है गारंटीकृत मूल अधिकार से वंचित करने के बराबर भारत के संविधान के भाग III के तहत अपीलकर्ता। इसलिए,अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही शासन के तहत भारत के राष्ट्रपति से मंजूरी प्राप्त करने के बाद सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 के 9(2)(ख)(i) के लिए उत्तरदायी हैं-निरस्त कर दिया।[पैरा 41]। [360-ई-जी]

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य. बनाम श्री कृष्ण पांडे (1996) 9 एससीसी 395:1996 (3) एस.सी.आर. 183-पर भरोसा किया।

एम.पी. राज्य बनाम डॉ. यशवंत त्र्यंबक (1996) 2 एससीसी 305 : 1995 (6) पूरक एससीआर 128-विशिष्ट।

8. हालांकि, इसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता में खिलाफ लगाए गए आरोप, की शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस अदालत ने अनुशासन प्राधिकरण को अनुशासन जारी रखने का निर्देश दिया गया है कार्यवाही करें और तदनुसार छह महीने के में उन्हें समाप्त करें कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ-साथ इसके सिद्धांतों के साथ प्राकृतिक न्यायाधीश।[पैरा 43] [361-- बी]

डी. वी. कपूर बनाम भारत संघ (1990) 4 एस.सी.सी. 314: 1990 (3) एस.सी.आर. 697; भारत संघ बनाम केवल कुमार AIR 1993

एससी 1585:1993 (3) एससीआर 45; रेलवे बोर्ड द्वारा भारत संघ का प्रतिनिधित्व बनाम निरंजन सिंह (1969) 1 एससीसी 502: 1969(3) एससीआर 548; मद्रास राज्य बनाम जी. सुंदरम ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 1103-संदर्भित।-

<u>मामला कानून संदर्भ</u>

1996 (3) एस.सी.आर. 183	भरोसा किया	पैरा 22
1990 (3) एस.सी.आर. 697	संदर्भित	पैरा 29
1995 (6) पूरक एस.सी.आर. 128	विशिष्ट	पैरा 29
1993 (3) एस.सी.आर. 45	संदर्भित	पैरा 30
1969 (3) एस.सी.आर. 548	संदर्भित	पैरा 31
ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 1103	संदर्भित	पैरा 31
1999 (1) एस.सी.आर. 1121	भरोसा किया	पैरा 35
1981 एस.सी.आर. 1024	भरोसा किया	पैरा 39
1970 एस.सी.आर. 365	भरोसा किया	पैरा 39
1973 (0) पूरक एस.सी.आर. 1	अनुसरण किया	पैरा 40

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं 8323/2016 ।

मणिपुर उच्च न्यायालय, इम्फाल की रिट अपील संख्या 39/2011 मे पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 05.08.2013 से

के साथ

सी. ए.संख्या 8324/2016

लेनिन सिंह हिजाम, ए.डी. तंबोली, सुश्री मोमोता देवी, ओइनाम, अधिवक्ता। अपीलकर्ता के लिए।

पी.एस. पटवालिया, ए.एस.जी., सुश्री बी. सुनीता राव, बी.कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता। प्रत्यर्थीगण के लिए उसके साथ।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति वी. गोपाल गौड़ा, जे. द्वारा पारित किया गया:-

1. अनुमति स्वीकृति।

2. वर्तमान अपीलें आम आक्षेपों से उत्पन्न होती हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय, इम्फाल के खण्ड पीठ द्वारा निर्णय और आदेश दिनांक 05.08.2013 ने 2011 के अपील रिट अपील संख्या 39 और 40 में, जिसके गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इम्फाल पीठ में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 01.09.2010 दिनांकित निर्णय और आदेश-डब्ल्यू.पी.(ग) संख्या 904/2008 और 264/2010 को अलग रखा गया था।

3. प्रतिद्वंद्वी कानूनी की सराहना करने के लिए आवश्यक तथ्य पक्षों की ओर से आगे की गई दलीलों को संक्षेप में नीचे बताया गया हैः

अपीलकर्ता 61 * के नियमित कमांडेंट के रूप में कार्यरत था। बटालियन, सी.आर.पी.एफ. और घटनाओं के समय, मंत्रीपुखरी में तैनात था। इम्फाल।उन पर दो मामलों में शामिल होने का आरोप है।पहला मामला, अर्थात। 2013 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 30907 से उत्पन्न होक्रमांक वाली सिविल अपील निम्नलिखित से संबंधित है -हथियार और गोला-बारूद का गायब होना। दूसरा मामला, यानी 2014 की एसएलपी (सी) संख्या 10092 से उत्पन्न सिविल अपील, अपीलकर्ता की इकाई में तैनात 11 सीआरपीएफ कर्मियों द्वारा कथित तौर पर प्रतिबंधित गाँजा की आपूर्ति से संबंधित है ।

03.06.1995 और 05.07.1995 के बीच, 3 के साथ एक एके-47 राइफल एक के नाम में मैगजीन और 7.62 गोला-बारूद के 90 राउंड जारी किए गए लांस नायक

मान बहादुर, जो उसी बटालियन में तैनात थे जो अपीलकर्ता कमांडेंट था, गायब हो गया।के अनुसार प्रत्यर्थीगण, नुकसान जारी किए गए मौखिक आदेशों के परिणामस्वरूप हुआ अपीलकर्ता द्वारा, कौन सी कार्रवाई नियम 3 (1) (i) और (111) केंद्रीय व्यवहार सेवा (आचरण) नियम, 1964 (इसके बाद)इसे "सी. सी. एस. (आचरण) नियम, 1964" के रूप में संदर्भित किया गया है।

4. 28.05.1997, पुलिस उप महानिरीक्षक (ओपीएस),सी. आर. पी. एफ., इम्फाल ने अपीलकर्ता को एक पत्र भेजा, जिसमें उसे एक पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।उक्त चूक के संबंध में बचाव का लिखित कथन उक्त पत्र के प्रासंगिक अंश नीचे दिए गए हैंः

> "आई. जी. पी., एन/सेक्टर, सी. आर. पी. एफ. द्वारा यह सूचित किया गया है कि एके-47 राइफल, 3 मैगजीन और 7.62 गोला-बारूद के 90 राउंड मंत्रीपुखरी, इम्फाल में 61 बटालियन की कमान संभालने का।का एक अदालत पूछताछ की गई।आई. जी. पी. एन./सेक्टर ने इसकी सूचना दी है। कार्यालय कि उक्त हथियार और गोला-बारूद से संबंधित है एचक्यूआर कोय को एलएनके मान बहादुर को जारी किया गया दिखाया गया था लेकिन वास्तव में आपके आदेश पर एक नागरिक द्वारा उपयोग किया जा रहा था, यह है आगे सूचित किया गया कि एस. एम. पी. एन. गुप्ता (ओ. सी. मुख्यालय कॉय)61 बी. एन.) ने आपके ध्यान में लाया था कि उक्त हथियार और गोला-बारूद नागरिक द्वारा वापस नहीं किया गया था और थे मुख्यालय कोय कोटे से लापता।इसके लिए, श्री पी. एन.गुप्ता ने आपको 21.08.1995 पर लिखित रूप में सूचित किया था, हालांकि,न तो कोई कार्रवाई की गई और न ही आपके द्वारा कोई निर्णय लिया गया इसलिए भी, 1 को

आई. जी. पी., एन/सेक्टर द्वारा निर्देशित किया जाता है कि आपसे अनुरोध है कि आप अपना लिखित कथन इस कार्यालय को यहाँ भेजें एक प्रारंभिक तिथि"।

5. उपरोक्त पत्र के अनुसार, अपीलकर्ता ने अपना लिखित निवेदन निवेदन 07.04.1998 में कथन, उन कारणों की व्याख्या करते हुए जिनके परिणामस्वरूप उक्त हथियार और गोला-बारूद का नुकसान।

6. 24.06.1998 दिनांकित पत्र द्वारा, सीआरपीएफ के उप महानिरीक्षक,इम्फाल, आंतरिक अदालत द्वारा लिए गए निष्कर्ष के आधार पर जाँच, अपीलकर्ता को अधिक सावधान रहने की चेतावनी जारी की और अपीलकर्ता में 3,750/- रुपये की राशि वसूल करने का आदेश खोए हुए हथियार का स्थान।

7. इसके बाद, आई. जी. पी., उत्तरी क्षेत्र, सी. आर. पी. एफ.,अपीलकर्ता को एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया है कि मामले की पुनर्विलोकन के बाद,महानिदेशालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि जुर्माना लगाया गया था उस पर 24.06.1998 दिनांकित पत्र उसी के रूप में वापस लिया जा रहा था द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता के अनुरूप नहीं था अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में अपीलकर्ता।मंजूरी मिलने के बाद सक्षम प्राधिकारी, प्रमुख दंड कार्यवाही शुरू की गई और अपीलकर्ता को दिनांकित 23.06.1999 का आरोप पत्र जारी किया गया था। तत्पश्चात, राष्ट्रपति के दिनांकित 14.10.1999 आदेश के अनुसार,केंद्रीय व्यवहार सेवा के नियम 14 के तहत नियमित विभागीय जांच (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 (इसके बाद संदर्भित)जैसा कि "सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965") के संबंध में आदेश दिया गया था गोला-बारूद के साथ एके-47 राइफल के नुकसान की घटना बताई गई।

8. अधिरोपण को वापस लेने की उक्त कार्रवाई से व्यथित मामूली जुर्माना और

विभागीय जांच शुरू करते हुए, अपीलकर्ता ने रिट दायर की गुवाहाटी, इम्फाल उच्च न्यायालय के समक्ष 2002 की याचिका (सी) क्रमांक ख्या 720 पीठ ने उक्त आरोप पत्र की वैधता पर सवाल उठाया दिनांकित 15.03.1999 इस आधार में कि यह सिद्धांतों का उल्लंघन है प्राकृतिक] न्यायाधीश और कानून की स्थिर स्थिति के विपरीत भी है।

9. विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्णय के माध्यम से रिट याचिका की अनुमति दी और विभिन्न निर्णयों पर भरोसा रखते हुए 18.05.2006 दिनांकित आदेश प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांतों के पहलू पर यह अदालत।यह देखा गया कि अपीलकर्ता पर अधिरोपित पूर्व दंड वापस ले लिया गया था सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 15.03.1999 के आदेश द्वारा स्वप्रेरणा संज्ञान उसे सुनने का अवसर प्रदान करना, एक गैर बोलने से गुजरना आदेश दें।विद्वान एकल न्यायाधीश ने तदनुसार दिनांकित आदेश को रद्द कर दिया 15.03.1999 जैसा कि अपीलकर्ता पर पूर्व में लगाया गया दंड था वापस ले लिया गया जिसके द्वारा 24.06.1998 दिनांकित पत्र वापस ले लिया गया था आई. जी. पी-एन. एस.

10. इस बीच, अपीलकर्ता नियमित रूप से सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। कमांडेंट/पुलिस अधिकारी, 31.08.2006 पर सीआरपीएफ।

11. प्रत्यर्थी-भारत संघ क्रमांक रिट अपील संख्या 45 को प्राथमिकता दी उक्त के विरुद्ध उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष 2006 का विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय और आदेश।

12. निर्णय के माध्यम से उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ और दिनांकित 07.11.2006 आदेश ने द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष और कारणों को बरकरार रखा विद्वान एकल न्यायाधीश और अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता को होना चाहिए था

ज्ञापन से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया उन्हें 15.03.1999

दिनांकित आरोप जारी किए गए थे।खण्ड पीठ हालाँकि, यह देखा गया कि यह अनुशासनात्मक प्राधिकरण के लिए खुला था इसका पालन करते हुए अपीलकर्ता के खिलाफ मामले में नई कार्रवाई शुरू करें -प्राकृतिक न्यायाधीश के सिद्धांत।तदनुसार याचिका खारिज कर दी गई।

13. खण्ड पीठ द्वारा दी गई स्वतंत्रता के अनुसरण में प्रत्यर्थीगण को दिनांकित 02.02.2007 का कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किया गया था अपीलकर्ता, जिसके द्वारा उसे जवाब देने के लिए पंद्रह दिनों का समय दिया गया था एक ही।अपीलकर्ता के जवाब पर विचार करने के बाद, डी. जी.-सी. आर. पी. एफ. आए। इस निष्कर्ष पर कि अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करना उचित था अपीलकर्ता के खिलाफ नए सिरे से,

14. तदनुसार, 22.08.2008 पर, प्रत्यर्थीगण ने एक और जारी किया मंजूरी के अनुसरण में अपीलकर्ता को आरोप-पत्र केंद्र सरकार के नियम 9 (2) (बी) (1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त व्यवहार सेवा (पेंशन) नियम, 1972 (इसके बाद सी. सी. एस. के रूप में संदर्भित) (पेंशन) नियम, 1972 ") विभागीय जांच कार्यवाही शुरू करने के लिए के नियम 14 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसके खिलाफ केंद्रीय व्यवहार सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 और उसे अपने बचाव का लिखित कथन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया आरोप पत्र ने कहा।इनके विरुद्ध बनाए गए आरोपों के अनुच्छेद अपीलकर्ता को नीचे निकाला गया हैः

> "अनुच्छेद-I
>
> कि उक्त श्री बी. एस. याम्बेम, कमांडेंट (सेवानिवृत्त)61 बी. एन. सी. आर. पी. एफ. के कमांडेंट के रूप में तैनात और कार्य करते हुए से अवधि के दौरान मंत्रीपुखरी, इम्फाल (मणिपुर) में 1.5.95 10 31.8.95 दुराचार का एक कार्य किया जिसमें उसने अनुमति दी, कोटे

यू. ओ. से अधिक हथियार और गोला-बारूद जारी करने के लिए प्राधिकरण।इस प्रकार उक्त बी. एस. याम्बेम, कमांडेंट (सेवानिवृत्त) कर्तव्य के प्रति आत्यन्तिक समर्पण बनाए रखने में विफल रहे और सरकारी कर्मचारी के अनुपयुक्त तरीके में कार्य करना और इस प्रकार नियम 3 (1) (ii) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन किया। और (iii) सी. सी. एस. (आचरण) नियम, 1964 .

अनुच्छेद- II

कि उक्त श्री बी. एस. याम्बेम, कमांडेंट (सेवानिवृत्त) जबकि उपरोक्त क्षमता में तैनात और कार्य कर रहा है और उपरोक्त अवधि के दौरान दुराचार का कार्य किया गया कि उन्होंने में हथियार और ए जारी करने के लिए मौखिक आदेश किए कोटे यू. सी. के बिना के माध्यम द्वारा पूर्व-भूमिगत के लिए संयोजन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए उचित रिकॉर्ड रखना/बनाए रखना विषय पर। इस प्रकार, उक्त श्री बी.एस. यमबेम, कमांडेंट (सेवानिवृत्त) पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखने में विफल रहे और एक सरकारी कर्मचारी के लिए अनुचित तरीके से कार्य किया और इस तरह इसमें निहित प्रावधानों का उल्लंघन किया। सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3(i)(ii) और (iii)।

अनुच्छेद-III

कि उक्त श्री बी. एस. यांबेमन, कमांडेंट (सेवानिवृत्त) जबकि 61 बी. एन. सी. आर. पी. एफ., सी. के कमांडेंट के रूप में तैनात और कार्यरत मंत्रीपुखरी।इंफाल (मणिपुर) से अवधि के दौरान 1.5.95

31.8.95 ने एक कार्य किया।उस में दुराचार उसने भूमिगत लोगों को द्वारावा हथियार जारी किए संख्या 793020336 एलएनके मान बहादुर में आदेशों का उल्लंघन किया जिसके परिणामस्वरूप एक एके-47 बॉडी क्रमांक 313422 गायब हो गया।बट क्रमांक 77,3 मैगज़ीन और 90 राउंड।कि उक्त श्री डी बी. एस. यांबेम, कमांडेंट (सेवानिवृत्त) रखरखाव में विफल रहे आत्यन्तिक सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण और एक में कार्य किया एक सरकार का अनुचित तरीका। सेवक और इस प्रकार उल्लंघन किया गया संविधान के नियम 3 (1) (i) (ii) और (iii) में निहित प्रावधान सीसीएस (आचरण) नियम, 1964।

अनुच्छेद-IV

कि उक्त श्री बी. एस. याम्बेम, कमांडर।(यू/एस) पोस्ट किए जाने के दौरान और उपरोक्त अवधि के दौरान उपरोक्त क्षमता में कार्य करना अवधि ने कदाचार का एक कार्य किया जिसमें वह पूर्व एफ को सेवा हथियार और गोला-बारूद जारी करने के मौखिक आदेश भूमिगत के परिणामस्वरूप एक ए. के. 47 बॉडी क्रमांक 313422 बट क्रमांक 77,3 पत्रिकाएँ और 90 राउंड।उनके पास था उपरोक्त तथ्य को छिपा दिया और उचित कार्रवाई करने में विफल रहे सर्विस हथियार गायब होने के बाद।इस प्रकार श्री बी. एस. याम्बेम, कमांडर।(यू/एस) आत्यन्तिक अखंडता बनाए रखने में विफल जी और कर्तव्य के प्रति समर्पण और अनुचित तरीके में कार्य करना एक सरकार। सेवक और इस तरह प्रावधानों का उल्लंघन किया सीसीएस (आचरण) नियमों के नियम 3 (1) (i) (ii) और (iii) में निहित,1964.”

15. उसी से पीड़ित, अपीलकर्ता ने रिट याचिका (सी) दायर की गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इम्फाल पीठ के समक्ष 2008 का सं.904 विभिन्न से आग्रह करते हुए आरोप पत्र जारी करने पर सवाल उठाया गया कानूनी आधार।

16. इस बीच, अनुशासनात्मक कार्यवाही का एक और सेट था 11 की गिरफ्तारी के संबंध में अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई कर्मी और अपीलकर्ता की इकाई के दो ट्रकों की जब्ती प्रतिबंधित गांजा।अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप था कि उसने प्रयास किया उसी पर पर्दा डालने के लिए और यह कि अपीलकर्ता का उक्त कार्य सी. सी. एस. (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3 (1) (i), (ii) और (iii) का उल्लंघन। उनके खिलाफ 14.05.1998 पर विभागीय जांच शुरू की गई थी। के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने से व्यथित उपरोक्त कथित कदाचार, अपीलार्थी क्रमांक 2005 का डब्ल्यू. पी. सं. 805 दायर किया गुवाहाटी उच्च न्यायालय , इम्फाल पीठ के समक्ष।विद्वान एकल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने निर्णय के माध्यम से रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांकित 16.06.2006 आदेश अदालत।हालांकि, एकल न्यायाधीश ने अनुशासन को स्वतंत्रता प्रदान की अपीलकर्ता के खिलाफ नए सिरे से विभागीय जांच शुरू करने के लिए प्राधिकरण निर्णय में दिए गए निर्देशों का पालन करने के बाद।

17. उक्त निर्णय से व्यथित होकर, प्रत्यर्थीगण ने रिट दायर की उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष 2007 की अपील क्रमांक 25 उसी की शुद्धता पर सवाल उठाते हैं।की खण्ड पीठ उच्च न्यायालय ने निर्णय और आदेश के माध्यम से उक्त रिट अपील को खारिज कर दिया 13.11.2008 और विद्वानों के विवादित निर्णय और आदेश को बरकरार रखा एकल न्यायाधीश।इसके बाद, उक्त आरोप पत्र दिनांकित किया गया 14.05.1998 प्रत्यर्थीगण द्वारा वापस ले लिया गया था, और अन्य 16.10.2009 दिनांकित आरोप पत्र जारी किया गया था।के लेख अपीलकर्ता के खिलाफ बनाए गए

आरोप नीचे दिए गए हैं -

"अनुच्छेद-1

कि उक्त श्री बी. एस. याम्बेम, कमांडेंट तैनात रहते हुए और 61 बी. एन. में कमांडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। सीआरपीएफ में मंत्रीपुखरी, इम्फाल ने अगस्त 1995 के दौरान एक वचन दिया गंभीर कदाचार जिसमें उन्होंने 08/08/1995 पर तीन भेजे वाहन, एक सहायक. कमांडेंट और उनकी यूनिट के 18 अन्य रैंकों को जीपी (ऑप्स) मणिपुर और नागालैंड की मंजूरी के बिना परिचालन क्षेत्राधिकार के क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। इनमें से दो ऊपर के वाहनों और 11 लोगों को बाद में रोका गया और सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरणों द्वारा गिरफ्तार ए 11/08 की रात को पटना के पास दीदारगंज चेक पोस्ट पर 1995 भारी मात्रा में प्रतिबंधित गांजा मिला गया इन वाहनों में भरा हुआ।इस प्रकार, श्री बी. एस. यांबेम ने कहा,आत्यन्तिक निष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखने में विफल और एक सरकारी कर्मचारी के रूप में अनुपयुक्त तरीके से काम किया और इस प्रकार नियम 3 (1) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन किया, (सी. सी. एस. (आचरण) नियम, 1964 का (i), (i) और (iii)।

अनुच्छेद-II

कि उपरोक्त अवधि के दौरान और कार्य करते समय उपरोक्त क्षमता में उपरोक्त इकाई, उक्त श्री सी बी. एस. याम्बेम ने एक गंभीर दुराचार किया जिसमें उन्होंने सी. आर. पी. एफ. के अवैध प्रेषण को कवर

करने के लिए मनगढ़ंत कार्यालय रिकॉर्ड परिचालन क्षेत्राधिकार से बाहर वाहन और पुरुष सक्षम प्राधिकारी की उचित अनुमति या आदेश और के संबंध में झूठे चिकित्सा प्रमाणपत्रों को सुरक्षित करने का भी प्रयास किया कथित तौर पर अवैध कार्य में शामिल अधिकारी और पुरुष पता चलने पर व्यवहार अस्पताल से गांजा का हस्तांतरण केंद्रीय द्वारा उनकी इकाई के वाहनों और लोगों को हिरासत में लेने के बारे में 12/08/1995 पर पटना के आबकारी अधिकारी, इस प्रकार, उक्त श्री बी. एस. याम्बेम, आत्यन्तिक सत्यनिष्ठा बनाए रखने में विफल रहे और कर्तव्य की निष्ठा और एक ई के अनुपयुक्त तरीके में कार्य किया सरकारी कर्मचारी और इस तरह प्रावधानों का उल्लंघन किया नियम 3 (1), (i) में निहित है।((ii) और (iii) सी. सी. एस. (आचरण) नियम, 1964।

अनुच्छेद-III

कि उक्त श्री बी. एस. याम्बेम, कमांडेंट (एफ.निलंबन) कमांडेंट के रूप में तैनात और कार्य करते हुए 61 बीएन। सी. आर. पी. एफ., मंत्रीपुखरी, इम्फाल अगस्त, 1995 के दौरान उसने एक गंभीर दुराचार किया जिसमें उसने दबा दिया श्री राम सिंह, सहायक के आगमन की जानकारी।कमांडेंट (निलंबन के तहत), 4 अन्य जी के साथ व्यवहार टाटा 608 ट्रक के साथ बीएन में नागरिक चालक। एचक्यूआरएस 15/16-8-95 पर रखें और उन्हें रखें मायांग, एल्म्फाल में दूरस्थ कोय स्थान पर छिपा हुआ और दिखाया गया बीएन मुख्यालय पर उनका आगमन 0245 बजे 17/08/1995 पर होगा। वे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा वांछित थे उसके दो ट्रकों से गांजा की जब्ती के

संबंध में 11/8/1995 की रात को पटना के पास दीदारगंज चेक-पोस्ट पर यूनिट इस प्रकार, उक्त श्री बी. एस. यांबेम, बनाए रखने में विफल रहे।आत्यन्तिक सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण और एक तरीके में कार्य करना एक सरकारी कर्मचारी का अनुपयुक्त होना और इस तरह उल्लंघन किया जाना सी. सी. एस. के नियम 3 (1), (i) (ii) और (iii) में निहित प्रावधान(आचरण) नियम, 1964।"

18. उसी से पीड़ित, अपीलकर्ता ने रिट याचिका(सी) दायर की गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इम्फाल पीठ के समक्ष क्रमांक 264/2010 .

19. चूंकि कानूनी मुद्दा दोनों रिट याचिकाओं में समान था, अर्थात, 2008 की संख्या 904 (पहले मामले में जारी किए गए 22.08.2008 के आरोप ज्ञापन के खिलाफ दायर यानी शस्त्र मामला) और रिट याचिका संख्या 264/2010 जो कि दिनांक 2010 के आरोप ज्ञापन के खिलाफ दायर की गई थी 16.10.2009-दूसरे मामले में जारी किया गया यानी गांजा मामले को एक साथ सुना गया और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 01.09.2010 द्वारा निपटाया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सामान्य निर्णय और दिनांकित आदेश के माध्यम से 01.09.2010.विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि ज्ञापन दोनों मामलों में आरोप यह स्पष्ट करते हैं कि अनुशासन की शुरुआत अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही 10 साल से अधिक समय पहले हुई कथित घटनाओं पर रोक लगा दी गई थी सी. सी. एस. (पेंशन) के नियम 9 (2) (बी) (ii) के तहत प्रदान की गई सीमा द्वारा नियम, 1972।तदनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने रद्द कर दिया दिनांकित शुल्क ज्ञापन 22.08.2008 और 16.10.2009 और अनुमति दी गई

अपीलार्थी द्वारा दायर उपरोक्त रिट याचिकाये।

20. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित होकर, उत्तरदाताओं ने 2011 की रिट अपील (सी) संख्या 39 और 2011 की 40 (क्रमशः 2008 की रिट याचिका संख्या 904 और 20 1 0 की रिट याचिका संख्या 264 के खिलाफ) दायर की। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इसकी सत्यता पर सवाल उठाया

21. पक्षकारों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ विवादित आम याचिका को पारित करके उपरोक्त लिखित अपीलों का निराकृत गया निर्णय और आदेश दिनांक 05.08.2013, यह देखते हुए कि एक बार मंजूरी अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त किया गया था,तब नियम में निहित चार वर्ष की सीमा की अवधि की सीमा 9(2)(बी) सी. सी. एस. (पेंशन) नियम, 1972 का (ii) लागू नहीं होगा।इसलिए,अपीलकर्ता को आरोप-पत्र देने की कार्यवाही उनकी सेवानिवृत्ति के बाद नियम 9 (2) (ए) के दायरे में आता है।9(2)(ख) (i) सी. सी. एस. (पेंशन) नियम, 1972।की खण्ड पीठ इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने अपीलों को स्वीकार कर लिया और आदेश को रद्द कर दिया विद्वान एकल न्यायाधीश और प्रत्यर्थीगण के निर्णय को बरकरार रखा अपीलकर्ता के विरुद्ध विभागीय जाँच, की खण्ड पीठ उच्च न्यायालय ने आगे जांच अधिकारी को विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया किसी में प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार सख्ती में जांच करना। उसके आदेश का अवलोकन।प्रत्यर्थीगण को आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया अपीलकर्ता के विरुद्ध विभागीय जाँच के साथ और निष्कर्ष निकालते हुए जांच में उसे सुनने का पर्याप्त अवसर देने के बाद भी कार्यवाही। अतः, अपीलकर्ता द्वारा दायर वर्तमान अपील।

22. श्री लेनिन सिंह हिजाम, विद्वान अधिवक्ता जो उनकी ओर से पेश हुए अपीलकर्ता का तर्क है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की शुरुआत वर्ष 2008 में अनुशासनिक प्राधिकरण द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध कथित घटनाओं की घटना के 13

और 14 वर्षों का लंबा अंतराल इन दोनों मामलों में सी. सी. एस. (पेंशन) के नियम 9 (2) (बी) (ii) का उल्लंघन होता है। नियम, 1972।उसी के समर्थन में, निर्णय पर निर्भरता रखी जाती है यू. पी. राज्य और ए. एन. आर. बनाम के मामले में यह अदालत।श्री कृष्ण पांडे (1996) 9 एससीसी 395,जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी सरकारी कर्मचारी के अधीन नहीं किया जा सकता है किसी भी कार्यक्रम के लिए सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद विभागीय जांच के लिए या घटना जो तारीख से चार साल से अधिक समय पहले हुई थी एक कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की स्थापना।

23. विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क देते हैं कि खण्ड पीठ उच्च न्यायालय में सी. सी. एस. (पेंशन) नियम, 1972 को दरकिनार करके गलती की है। अपीलकर्ता के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के लिए सीमा अवधि बढ़ाने में नुशासनात्मक) प्राधिकारी की कौन सी कार्रवाई इसके विपरीत है श्री कृष्ण///1(1) के मामले में नियमों के साथ-साथ इस आयोग का निर्णय भी पांडे (सुप्रा)

24. विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क देते हैं कि न तो निरीक्षक पुलिस महानिदेशक (एन. एस.-सी. आर. पी. एफ.) और न ही महानिदेशक, सी. आर. पी. एफ.दिनांक 22.08.2008 पर आरोप पत्र जारी किया है और 16.10.2009 उनके खिलाफ नई विभागीय जांच कार्यवाही शुरू करने के लिए अपीलकर्ता क्योंकि वे ऐसा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं थे।यह है आगे तर्क दिया कि सेवानिवृत्त लोगों के लिए प्रदान किए गए वैधानिक सुरक्षा उपाय सी. सी. एस. (पेंशन) नियम, 1972 के तहत सरकारी कर्मचारियों को ऐसा नहीं करना चाहिए प्रत्यर्थीगण द्वारा अनदेखी की गई है।

25. विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क देते हैं कि जाँच की कार्यवाही जो सी. सी. एस. (सी. सी. ए.) के नियम टी4 के तहत प्रत्यर्थीगण द्वारा शुरू किए गए थे। हथियार के

नुकसान की कथित घटना के संबंध में नियम, 1965 और 1{1996) 9 एस. सी. सी. 395 गोला-बारूद, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रद्द कर दिए गए थे।इसके बाद उनके खिलाफ नए सिरे से जांच की कार्यवाही शुरू की गई।सी. सी. एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 9 (2) (बी) (ii) के तहत अपीलकर्ता। इसलिए,प्रत्यर्थीगण अपनी कार्रवाई को उचित ठहराकर इस अदालत को गुमराह नहीं कर सकते हैं जमीन पर अपीलकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करना कि दूसरी जांच कार्यवाही जो उनके द्वारा जारी करके शुरू की गई थी आरोप पत्र केवल पहले की निरंतरता थी जाँच स्वयं चल रही है, जब उसी को नए सिरे से शुरू किया गया था राष्ट्रपति से मंजूरी प्राप्त करने के बाद अनुशासनात्मक प्राधिकरण के रूप में अपीलकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद नियम 9 (2) (बी) (1) के तहत आवश्यक सेवा और कथित घटनाओं की तारीख से चार साल से अधिक।

26. जहाँ तक एस. एल. पी. में उत्पन्न सिविल अपील का मामला है(ग) 2014 का क्रमांक 10092 (गाँजा मामला) संबंधित है, विद्वान अधिवक्ता अपीलकर्ता की ओर में अपीलकर्ता की भागीदारी का खंडन करता है एक ही।यह तर्क दिया जाता है कि 11 सीआरपीएफ कर्मी थे!कौन थे?उक्त मामले में आरोप पत्र दायर किया गया और मामला दर्ज किया गया और जिले के समक्ष मुकदमा चलाया गया और सत्र न्यायाधीश, पटना के तहत दंडनीय कथित अपराधों के लिए एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान। निचली अदालत ने उक्त को बरी कर दिया कर्मचारी।इसके अलावा, उनके खिलाफ कोई विभागीय जांच नहीं की गई। अजीब बात है कि विभागीय जांच की कार्यवाही केवल शुरू की गई थी अपीलकर्ता के खिलाफ और वह भी कथित घटना के 13 साल बाद जो सी. सी. एस. (पेंशन) नियम, 1972 का उल्लंघन में विद्वान।अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि उपरोक्त विभागीय जांच शुरू की गई थी अपीलकर्ता के खिलाफ उसे परेशान करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से।

27. दूसरी ओर श्री पी. एस. पटवालिया ने अतिरिक्त शिक्षा प्राप्त की।प्रत्यर्थीगण की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने अनुरोध किया है कि सामान्य विवादित निर्णय और दिनांकित 05.08.2013 आदेश को उचित ठहराएँ उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ यह तर्क देते हुए किया कि उच्च न्यायालय प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर रिट अपीलों को अनुमति देने में सही था।और यह कि यह गलत तर्क से ग्रस्त नहीं है या कानून में कोई त्रुटि जो अभ्यास में इस अदालत द्वारा हस्तक्षेप की गारंटी देती है भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इसकी अपीलीय क्षेत्राधिकार।

28. विद्वान ए. एस. जी. आगे तर्क देता है कि नियम 9 (2) (बी) (ii)सी. सी. एस. (पेंशन) नियम, 1972 अपीलकर्ता के बचाव में नहीं आ सकते हैं।क्योंकि अपीलकर्ता के खिलाफ विभागीय जांच पहले ही शुरू की जा चुकी थी 15.03.1999 दिनांकित पत्र देखें, जब वे अभी भी सेवा में थे।

29. विद्वान ए. एस. जी. आगे खंड (ए) पर निर्भरता रखता हैसी. सी. एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 9 का उप-नियम 2 जो इस प्रकार हैः

> "9(2)(ए)। उप-में निर्दिष्ट विभागीय कार्यवाहियां -नियम (1) यदि स्थापित किया गया है, जबकि सरमेंरी कर्मचारी सेवा, चाहे वह उनकी सेवानिवृत्ति से पहले हो या उनके पुनर्स्थापन के दौरान।रोजगार, की अंतिम सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारी, जिसके तहत कार्यवाही मानी जाए यह रू 'ई और जारी रखा जाएगा और द्वारा समाप्त किया जाएगा प्राधिकरण जिसके द्वारा उन्हें उसी में शुरू किया गया था जिस तरह से सरकारी कर्मचारी में जारी रखा था सेवा "।

इसके अलावा, विद्वान एएसजी के निर्णय पर भरोसा जताया गया है यह न्यायालय डी. वी. कपूर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया {1990) 4 एस. सी. सी. 314 के

मामले में जिसमें यह कोर्ट ने माना है कि सीसीएस (पेंशन) के नियम 9 के तहत कार्यवाही नियम, 1972 के तहत सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ उन मामलों में कार्रवाई शुरू की जा सकती है या जारी रखी जा सकती है, जिनमें गंभीर कदाचार का आरोप है। हाथ में मामले में, की पूर्व मंजूरी राष्ट्रपति को आवश्यकतानुसार अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया गया था सीसीएस (पेंशन) नियमों के नियम 9 (2) (बी) (1) के तहत।1972 जारी रखने के लिए अपीलकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही। विद्वान एएसजी इस मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा करते हैं। मप्र राज्य बनाम डॉ.यशवंत त्र्यंबक (1996) 2 एससीसी 305 के मामले में इस अदालत के निर्णय पर भरोसा करता है। जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि व्यक्तिगत मंजूरी राज्यपाल या राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं है और यह पर्याप्त है कि मंजूरी एक विधिवत अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी है जाए और अच्छी तरह से रूप से प्रमाणित किया गया। कोई भी अदालत इस तरह की मंजूरी की वैधता में गौर नहीं कर सकती है।भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 (3) और 166 (3) की शर्तें।

30. विद्वान ए. एस. जी. आगे तर्क देते हैं कि कानूनी सिद्धांत श्री कृष्ण पांडे (ऊपर) के मामले में इस अदालत द्वारा प्रतिपादित तत्काल मामले में भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तथ्यात्मक स्थितियों में दोनों मामले एक-दूसरे से बहुत अलग हैं। श्री कृष्ण के मामले में पांडे (ऊपर), उसमें संबंधित अधिकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए। 31.03.1987 और उसके खिलाफ कार्यवाही 21.04.1991 पर शुरू की गई थी।इस अदालत ने उक्त मामले में कहा कि यह स्पष्ट था कि गबन की तारीख से चार साल पहले हुआ था सेवानिवृत्ति और गबन के परिणामस्वरूप आर्थिक नुकसान हुआ था राज्य सरकार।राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और अधिकारी को विनियम 351-ए के प्रावधानों से बचने की अनुमति दी गई *व्यवहार सेवा विनियम।यह आगे इस अदालत

द्वारा देखा गया था उपरोक्त मामले में कि इस अदालत के निर्णय ने अनुशासनात्मक प्राधिकरण की जाँच जारी रखने से अपराध करें और उस पर कार्रवाई करें।जबकि तत्काल मामले में अपीलकर्ता 31.08.2006 पर सेवा से सेवानिवृत्त हुए और उनके द्वारा मंजूरी दी गई 3 वर्षों है भीतर भारत है राष्ट्रपति, अर्थात संचालन है लिए 22.8.2008 पर उसके खिलाफ विभागीय जांच, जो चार साल की सीमा के भीतर है उक्त नियमों में विहित अवधि।इसलिए, विद्वान एएसजी प्रस्तुत करता है कि तत्काल मामले के तथ्य नियम 9 (2) (बी) (ii) को आकर्षित नहीं करते हैं सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972। विद्वान ए. एस. जी. के अनुसार, तारीख अनुशासनात्मक कार्यवाहियों की स्थापना पर विचार किया जाना चाहिए जिस तारीख को आरोप पत्र जारी किया गया था।विद्वान। ए. एस. जी. आगे इस मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करता है भारत संघ बनाम केवल कुमार ए आई आर 1993 एससी 1585, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि शुल्क ज्ञापन जारी करने की आवश्यकता आवश्यक नहीं है। जब सक्षम अनुशासन द्वारा निर्णय लिया जाता है तो इसका पालन किया जाना चाहिए प्राथमिकी आर. के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का अधिकार। अतः, अपीलकर्ता इस अदालत के निर्णय पर भरोसा नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण पांडे (ऊपर) के मामले में, जब आरोप तय किए गए थे अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा उसके खिलाफ गंभीर मामले से संबंधित है प्रतिबंधित गांजे की तस्करी।

31. विद्वान एएसजी आगे के निर्णयों पर भरोसा करते हैं यह न्यायालय रेलवे बोर्ड के मामलों में यूनियन का प्रतिनिधित्व करता है भारत बनाम निरंजन सिंह 1969) 1 एससीसी 502 और स्टेट ऑफ़ मद्रास बनाम जी. सुंदरम एआईआर 1965 एससी 1103 जिसमें इस अदालत ने यह अभिनिर्धारित किया है कि उच्च न्यायालय ने अभ्यास करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार नहीं होना चाहिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना जाँच करने के

बाद, जब तक कि तथ्य के निष्कर्ष समर्थित न हों कोई साक्ष्य ,

32. हमने विद्वान अधिवक्ता को उनकी ओर से उपस्थित होते हुए सुना है दोनों पक्ष।निम्नलिखित आवश्यक प्रश्न हमारे लिए उत्पन्न होंगे।मामले में विचारः

1. क्या विवादित निर्णय और आदेश किया गया उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ सही ढंग से सराहना की सी. सी. एस. (पेंशन) नियमों के नियम 9 (2) (बी) (ii) का दायरा,1972 इस तथ्य के आलोक में कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी कथित घटनाओं के चार साल से अधिक समय बाद शुरू किया गया?

2. क्या विवादित निर्णय और आदेश गलत है और कानून में दूषित है?

3. कौन सा आदेश?

बिन्दु संख्या 1 और 2 का उत्तर

चूँकि अंक 1 और 2 परस्पर संबंधित हैं, इसलिए इनका उत्तर दिया जाता है। नीचे की तरह एक साथः

33. उपरोक्त तथ्यात्मक और प्रतिद्वंद्वी कानूनी के संदर्भ में इस अदालत के समक्ष आरंभ में ही इसका उत्तर देने के लिए आग्रह की गई दलीलें द्वारा जारी किए गए दिनांकित 20.02.2009 पत्र को संदर्भित करना आवश्यक होगा डी. आई. जी. पी. (सी. आर. एंड विग.) जो इस प्रकार हैः

"महानिदेशालय, सीआरपीएफ

(गृह मंत्रालय)

बिषयः श्री बी. एस. के खिलाफ विभागीय जांच

यांबेम, कमांडेंट (सेवानिवृत्त)

श्री बी. एस. यांबेम के खिलाफ एक डी.ई. आयोजित किया गया था। 'अपनी

इकाई का वाहन भेजने के आरोप में कमांडेंट अपने क्षेत्राधिकार से बाहर 8.8.1995 पर पुरुषों के साथ और जब वाहनों को सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया था गांजे का अवैध हस्तांतरण, उसने छिपाने का प्रयास किया उसी तरह दस्तावेजों में हेरफेर करके, आरोप का अनुच्छेद है सी/फाइल के पी/72 पर।-

2. डी. ई. पूरा हो गया था और 10s रिपोर्ट की एक प्रति थी सी/ओ पर सेवा की। सी/ओ ने 2005 में डब्ल्यू. पी. नंबर, 805 दायर किया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इम्फाल पीठ जिसमें पहले माननीय अदालत ने दिनांक 18.7.2005 के आदेश के माध्यम से DE पर रोक लगा दी और फिर 16.6.2006 दिनांकित निर्णय के माध्यम से (पी/55/सेंट/पर प्रतिलिपि)पक्ष), मेमो दिनांक 14.5.1998 के माध्यम से शुरू किए गए DE को रद्द कर दिया और 10 की रिपोर्ट।तथापि, माननीय अदालत ने इसे छोड़ दिया डी. ए./आई. ओ. पी. को नए सिरे से डी. ई. आयोजित करने के लिए खोलने के बाद सी. ओ. आई. की कार्यवाही की प्रतियों की आपूर्ति और अंग्रेजी में बयानों की प्रतियों का अनुवाद किया गया।गवाहों और याचिकाकर्ता को हिंदी में दर्ज किए गए दस्तावेज।

3. उपरोक्त आदेश के खिलाफ विभाग क्रमांक डब्ल्यू. ए. नं. दायर किया।25 2007 की खण्ड पीठ में जिसे खारिज कर दिया गया था 13.11.2008 पर माननीय अदालत (पी/125 सेंट/साइड पर प्रतिलिपि)।मामला एमओएल को भेजा गया और एएसजी ने राय दी कि यह एस. एल. पी. दाखिल करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।(पी/120 सी/साइड)।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, का 16.6.2006 दिनांकित निर्णय माननीय अदालत को अब लागू करने की आवश्यकता है जो निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता होगीः-

(i) सी. ओ. आई. की कार्यवाही की प्रतियों की आपूर्ति करना और अंग्रेजी ने

बयानों की प्रतियों का अनुवाद किया हिंदी में दर्ज गवाह और दस्तावेज याचिकाकर्ता।यह शुरू करने के लिए पूर्व-आवश्यकता होगी नए सिरे से C/O के खिलाफ DE

(ii) दिनांकित ज्ञापन 14.5.1998 होना चाहिए रद्द कर दिया गया और सी/ओ के खिलाफ डी. ई. नए सिरे से शुरू हुआ एक ही आरोप।हालांकि, नया ज्ञापन एक प्रति के साथ सी/ओ की आपूर्ति के बाद जारी किया जाएगा सी. ओ. आई. फाइल और कथन का अंग्रेजी अनुवाद गवाहों से।

5. इसलिए एम. एच. ए. मामले को देखना और सूचित करना चाहेगा। उपरोक्त कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी। चूँकि अधिकारी पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है (जबकि निलंबन के तहत) डब्ल्यू. ई. एफ. 31.8.2006, डी. ई. ने आदेश दिया नए सिरे से सी. सी. एस. (पेंशन) नियमों के नियम 9 (2) के तहत होगा,1972.

6. इसे डी. जी. की मंजूरी प्राप्त है।

(रणजीत सिंह)

डी. आई. जी. पी. (सी. आर. एंड वी. जी.)

20.02.2009"

(इस न्यायालय द्वारा जोर दिया गया)

उक्त पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अनुशासन प्राधिकरण,16.06.2006 दिनांकित निर्णय और आदेश में बाद किया गया उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 2005 का डब्ल्यू. पी. संख्या 805 और 2007 के डब्ल्यू. ए. क्रमांक 25 में निर्णय और आदेश दिनांक 13.08.2008 उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की सी. सी. एस. (पेंशन) ए. के नियम 9 (2) (बी) (ii) के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ नए सिरे से अपील नियम, 1972 और भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी भी मांगी।

सी. सी. एस. (पेंशन) नियम, 1972 का नियम 9 (2) इस प्रकार हैः

"9. रोक लगाने या वापस लेने का राष्ट्रपति का अधिकार

पेंशन -

(2) (क) उप-नियम में निर्दिष्ट विभागीय कार्यवाहियाँ

(1), यदि स्थापित किया गया था जबकि सरकारी कर्मचारी था सेवा में चाहे वह उनकी सेवानिवृत्ति से पहले हो या उसके दौरान,उसकी पुनर्नियुक्ति, की अंतिम सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारी को कार्यवाही माना जाए इस नियम के तहत और जारी रखा जाएगा और समाप्त किया जाएगा जिस प्राधिमेंरी द्वारा वे प्रारंभ किए गए थे जैसे सरकारी कर्मचारी ने सेवा में बने रहेः

बशर्ते कि जहाँ विभागीय कार्यवाहियाँ डी के अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा स्थापित किए जाते हैं राष्ट्रपति, वह प्राधिकारी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा राष्ट्रपति को अपने निष्कर्षों को दर्ज करना।

(ख) विभागीय कार्यवाही, यदि शुरू नहीं की गई है, जबकि सरकारी कर्मचारी सेवा में था, क्या उनकी सेवानिवृत्ति से पहले, या उनके पुनर्नियुक्ति के दौरान,-

(i) राष्ट्रपति की मंजूरी के अलावा स्थापित नहीं किया जाएगा ,

((ii) किसी भी घटना के संबंध में नहीं होगा जिसने चार साल से अधिक समय पहले

संस्थान, और

(iii) प्राधिकारी द्वारा संचालित किया जाएगा और ऐसा स्थान जो

राष्ट्रपति निर्देशित करे में लागू प्रक्रिया के अनुसार विभागीय कार्यवाहियाँ जिनमें जी का आदेश संबंध में सेवा से बर्खास्तगी की जा सकती है सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवा के दौरान।"

उपरोक्त नियम का अवलोकन यह स्पष्ट करता है कि यदि अनुशासनात्मक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही शुरू नहीं की जाती है जब वह सेवा में था, तब अनुशासनात्मक प्राधिकरण की पूर्व मंजूरी भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसी कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता है।ऐसा व्यक्ति।यह भी स्पष्ट है कि इस तरह की मंजूरी के संबंध में नहीं होगी एक घटना जो संस्था से चार साल पहले हुई थी ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही।

34. विद्वान सलाहकार!अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित हुआ है सी. सी. एस. (पेंशन) के नियम 9 (2) (बी) (II) पर सही ढंग से मजबूत निर्भरता रखी गई नियम, 1972।यह एक निर्विवाद तथ्य है कि अपीलकर्ता सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है। 31.08.2006 पर।उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 2002 की रिट याचिका क्रमांक ख्या 720 में दिनांकित निर्णय और आदेश लापता से संबंधित मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द कर दिया हथियार और गोला-बारूद। हालाँकि, अनुशासन को स्वतंत्रता दी गई थी प्राधिकरण/पूछताछ अधिकारी नए सिरे से अनुशासनात्मक जांच करेंगे अपीलकर्ता को जाँच की कार्यवाही की प्रतियाँ प्रदान करना। एकल न्यायाधीश के उक्त निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई थी 2006 की रिट अपील क्रमांक ख्या 45 के माध्यम से प्रत्यर्थीगण जिसमें प्रभाग पीठ ने निर्णय और दिनांक 07.11.2006 के आदेश को बरकरार रखा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश। यह केवल इसके अनुसार था कि ताजा अपीलकर्ता को दिनांक 22.08.2008 का आरोप ज्ञापन जारी किया गया था,जो स्पष्ट रूप से चार साल की सीमा की अवधि से परे था जैसा कि प्रदान किया गया था सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत।इसी तरह,

शामिल मामले में प्रतिबंधित गांजा।उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा के रिट याचिका संख्या, 805 में निर्णय और आदेश दिनांक 16.06.2006 2005 ज्ञापन के तहत विभागीय जांच को रद्द कर दिया दिनांकित शुल्क 14.05.1998।खण्ड पीठ ने रिट अपील को खारिज कर दिया प्रत्यर्थीगण द्वारा दिनांकित निर्णय और आदेश के माध्यम से दायर संख्या 25/2007 का 13.11.2008 और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा।यह था। इसके अनुसार उनके खिलाफ नई विभागीय जांच शुरू की गई थी। राष्ट्रपति से मंजूरी प्राप्त करने के बाद 16.10.2009 पर अपीलकर्ता सी. सी. एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 9 (2) (बी) (1) के तहत भारत सरकार।अपीलकर्ता ने मंजूरी और बनाए गए आरोपों की शुद्धता को चुनौती दी गुवाहाटी उच्च न्यायालय , इम्फाल पीठ में समक्ष उनमें खिलाफ डब्ल्यू. पी. (सी)2010 का क्रमांक 264।उच्च न्यायालय ने आरोपों के ज्ञापन को रद्द कर दिया इस आधार पर कि यह तारीख से चार साल बाद जारी किया गया था कथित घटना।अतः यह अभिनिर्धारित किया गया कि उक्त कार्रवाई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने में अनुशासनात्मक प्राधिकरण में मान्य नहीं है नियम के प्रावधान के अनुसार उसी कानून को सीमा द्वारा वर्जित किया गया था 9(2)(ख) सी. सी. एस. (पेंशन) नियम 1972 का (ii)।यह महत्वपूर्ण कानूनी पहलू उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा मामले पर विचार नहीं किया गया था सामान्य निर्णय और दिनांक 01.09,2010 के आदेश को दरकिनार करते हुए 2008 की रिट याचिका क्रमांक में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा (हथियार और गोला-बारूद का मामला) और 2010 की रिट याचिका क्रमांक ख्या 264 (प्रतिबंधित गांजा मामला)।

35. यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि एक विशेष कार्य करना किसी भी अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाता है तो अधिनियम को करना चाहिए इस तरह में किया जाए या बिल्कुल नहीं।उपरोक्त कानूनी स्थिति है इस अदालत द्वारा बाबू वर्गीज और अन्य अन्य के मामले में निर्धारित किया गया था। केरल बार काउंसिल

और अन्य)(19991 3 एससीसी 422, जिनके प्रासंगिक पैराग्राफ हैं इसके नीचे निकाला गया है;

"31, यह लंबे समय से स्थापित कानून का मूल सिद्धांत है कि यदि किसी विशेष कार्य को करने का तरीका किसी के तहत निर्धारित किया गया है अधिनियम के अनुसार, अधिनियम उस तरीके में किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं। इस नियम की उत्पत्ति टेलर के निर्णय से पता चलती है बनाम टेलर जिसे नजीर अहमद बनाम किंग एम्परर में लॉर्ड राप्चे द्वारा अनुसरण किया गया था, जिसे निम्नानुसार कहा गया था

"जहां एक निश्चित कार्य को एक निश्चित तरीके से करने की शक्ति दी जाती है, काम उस तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं।"

32. राव के मामले में इस अदालत ने इस नियम को मंजूरी दे दी है। शिव बहादुर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और फिर से दीप चांद बनाम राजस्थान राज्य, इन मामलों पर यूपी राज्य बनाम सिंघाड़ा सिंह की इस अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने विचार किया और नजीर अहमद मामले में निर्धारित नियम को फिर से बरकरार रखा गया। यह नियम तब से न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर लागू किया गया है और इसे प्रशासनिक कानून के हितकारी सिद्धांत के रूप में भी मान्यता दी गई है। "

मामले का उपरोक्त निष्पक्ष पहलू होना चाहिए था उच्च न्यायालय की दिव्य पीठ के बजाय माना जाता है की ओर से दिए गए तर्क को यांत्रिक रूप से स्वीकार करना प्रत्यर्थीगण का कहना है कि अपीलकर्ता का मामला स्पष्ट रूप से नियम के अंतर्गत

आता है 9(2)(ख) (i) सी. सी. एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 9 (2) (ख) (ii) के साथ पठित,इसलिए, खण्ड पीठ द्वारा विवादित मामले में दर्ज किए गए निष्कर्ष निर्णय कानून में गलत हैं और खारिज किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

36. प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान एएसजी यह तर्क देता है कि चार साल में सीमा में अवधि जैसा कि निर्धारित किया गया है 7 (1999) 3 एस. सी. सी. 422 9(2)(ख) सी. सी. एस. (पेंशन) नियम, 1972 का (ii) तथ्यों पर लागू नहीं होता है। वर्तमान मामले की इस कारण से कि विभागीय कार्यवाही अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई तब शुरू की जा चुकी थी जब वह सेवा में था,और यह उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमेबाजी लंबित होने के कारण था अदालत ने कहा कि कार्यवाही का समापन नहीं किया जा सका और आगे अनुशासनात्मक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी प्राप्त करने के बाद कार्यवाही जारी रखी गई। सी. सी. एस. (पेंशन) नियमों के नियम 1972 9 (2) (बी) (1) के तहत भारत की आवश्यकता के अनुसार, उक्त तर्क तथ्यों के साथ-साथ कानून दोनों में असमर्थनीय है।

37. उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ सराहना करने में विफल रही तथ्य यह है कि स्वतंत्रता उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के माध्यम से दी गई थी और डब्ल्यू. ए. में दिनांकित 07.11.2006 का आदेश। (ग) अनुशासन के लिए 2006 की क्रमांक 45 अपीलकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार।अतः वहाँ

प्रतिवादी अनुशासनात्मक प्राधिकरण को वापस लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी आरंभ करने के उद्देश्य से दिनांकित 14.05.1998 का शुल्क ज्ञापन समान आरोपों पर अपीलकर्ता के खिलाफ नए सिरे से अनुशासनात्मक कार्यवाही आवश्यकतानुसार भारत के राष्ट्रपति से मंजूरी का आदेश प्राप्त करके "सी. सी. एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 9 (2) (बी) (1) के तहत।प्रभाग उच्च न्यायालय की पीठ ने अपने निर्णय और दिनांक

05.08.2013 के आदेश में कहा है कि इस महत्वपूर्ण [मामले के समान पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, कि उपरोक्त नियमों के तहत राष्ट्रपति द्वारा दी गई पूर्व मंजूरी वास्तव में सीमा द्वारा वर्जित था। इस प्रकार, इसमें गंभीर त्रुटि की है इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि प्रतिवादी अनुशासनात्मक प्राधिकरण संचालन के लिए भारत के राष्ट्रपति से उचित मंजूरी प्राप्त की थी समान आरोपों के लिए अपीलार्थी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही,कौन सी कार्रवाई नियम 9 (2) (बी) (ii) के तहत प्रदान की गई सीमा द्वारा वर्जित थी सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 इसलिए, विवादित निर्णय और उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा आदेश की अनुमति नहीं दी जा सकती है कानून में कायम रखने के लिए।

38. कानून का ऐसा ही प्रश्न इससे पहले विचार के लिए आया था।श्री कृष्ण पांडे (ऊपर) के मामले में अदालत, जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था :

> "6, इस प्रकार यह देखा जाएगा कि कार्यवाही की आवश्यकता है -
>
> सेवानिवृत्ति से पहले किसी अपचारी अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए।अधिकारी को जारी रखने की अनुमति देने का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है।सेवा में और न ही उसे जारी रखने की अनुमति देने के लिए कोई आदेश किया गया पुनर्नियुक्ति} बिना अनुमति दिए जांच पूरी हो जाती है उसे सेवा से सेवानिवृत्त होना है।समान रूप से, कोई प्रावधान नहीं है कि कार्यवाही एक अनुशासनात्मक उपाय के रूप में शुरू की जाए और पहले शुरू की गई कार्रवाई उसके बाद भी बेरोकटोक जारी रहेगी।सेवानिवृत्ति।{एफ विनियम 351-ए इस संबंध में प्रभावी होगा।लंबित कार्यवाहियों का, आवश्यक निहितार्थ से, पूर्व राज्यपाल द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही जारी रखने की मंजूरी उसकी आवश्यकता

है।दूसरी ओर, विनियमन भी होगा इंगित करें कि यदि अधिकारी ने आर्थिक नुकसान किया है या प्रतिबद्ध है कदाचार या लापरवाही के कारण गबन आदि या कर्तव्य में लापरवाही, तो कार्यवाही भी शुरू की जानी चाहिए अधिकारी के खिलाफ सेवानिवृत्ति के बाद जितनी जल्दी हो सके संभव है।लेकिन दुराचार की घटनाएं होती रहती हैं।जो हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप सरकार को नुकसान या गबन हुआ,अर्थात्, कार्यवाहियों की स्थापना का कारण नहीं होना चाहिए तारीख से चार साल से अधिक समय पहले हुआ है कार्यवाहियों की संस्था।दूसरे शब्दों में, विभागीय चार साल बीतने से पहले कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।जिस तारीख को दुराचार आदि की घटना हुई थी हुआ है।मान लीजिए।इस मामले में अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए थे। 31-3-1987 पर और कार्यवाही 21-4-1991 पर शुरू की गई थी जाहिर है, गबन की घटना जिसके कारण राज्य को चार साल पहले आर्थिक नुकसान हुआ था उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से।इन परिस्थितियों में, राज्य ने अपनी जानबूझकर चूक से खुद को अक्षम कर लिया था प्रतिवादी के खिलाफ उचित कार्रवाई करें और अनुमति दें विनियमन 351 ए के प्रावधानों से बचने के लिए अधिकारी नियमों में से यह आदेश निषेध नहीं करता है।अपराध की जाँच के साथ आगे बढ़ना और लेना उस पर कार्रवाई ",

(इस न्यायालय द्वारा जोर दिया गया)

39. डॉ. यशवंत त्रिंबुक के मामले में इस अदालत का निर्णय(उपरोक्त) भी मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।इस अदालत ने उस मामले में निर्णय दिया था कि मंजूरी का आदेश शुरू करने के लिए राज्यपाल द्वारा दी गई अनुशासनात्मक कार्यवाही

की जांच नहीं की जा सकती है। इस अदालत द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, जैसा कि कहा गया है कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 166(2) के संरक्षण के अंतर्गत आती है। भारत से कानून का यह सिद्धांत वर्तमान तथ्य स्थिति पर लागू नहीं होता है। इस कारण से कि राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत अनुमोदन का आदेश भारत संविधान में अनुच्छेद 77(2) में तहत अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है।संविधान जो आदेशों और बनाए गए अन्य उपकरणों की बात करता है और भारत के राष्ट्रपति के नाम में निष्पादित।इसके तहत निर्दिष्ट नियम संविधान के अनुच्छेद 77 (3) राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम हैं।भारत सरकार के व्यवसाय के लेन-देन के लिए कहा कि राज्यपाल या राष्ट्रपति को प्रदान की गई संवैधानिक प्रतिरक्षा यह केवल उपयुक्त सरकार की कार्यकारी कार्रवाई तक ही सीमित है।भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी जाने वाली मंजूरी का आदेश, जैसा कि प्रदान किया गया है सी. सी. एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 9 (2) (बी) (1) के तहत दीक्षा के लिए है।अपीलार्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही, जो नहीं हो सकती है भारत सरकार की एक कार्यकारी कार्रवाई के रूप में माना जाता है।बल्कि, यह ए है के नियम 9 (2) (बी) (1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का वैधानिक प्रयोग सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972।उक्त नियम इसके द्वारा बनाए गए हैं -अनुच्छेद में तहत प्रदत्त विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत में राष्ट्रपति 309 भारत का संविधान।संविधान का अनुच्छेद 309 प्रदान करता है भर्ती के विनियमन के लिए नियम और विनियम बनाने के लिए और संघ या राज्य सरकार, के अधीन सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा की शर्तें निम्नानुसार पढ़ता हैः

> "309,की भर्ती और सेवा की शर्तें संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्ति-के अधीन इस संविधान के प्रावधान, उपयुक्त अधिनियम विधायिका भर्ती और शर्तों को विनियमित कर सकती है लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा संघ या किसी राज्य के मामलों

के संबंध मेंः

> बशर्ते कि यह राष्ट्रपति या ऐसे व्यक्ति के लिए शिविर होगा।जिस व्यक्ति में वह सेवाओं और पदों के मामले में निर्देश दे सकता है संघ के मामलों के साथ जुड़ाव, और किसी राज्य का राज्यपाल या ऐसा व्यक्ति जिमें वह निर्देश दे। के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों का मामला राज्य, भर्ती को विनियमित करने वाले नियम बनाने के लिए, और ऐसी सेवाओं के लिए नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और पद जब तक उस ओर में या उसके तहत प्रावधान नहीं किए जाते हैं इस अनुच्छेद के तहत उपयुक्त विधानमंडल का एक अधिनियम, और इस प्रकार बनाए गए ऐसे किसी भी अधिनियम का कोई भी नियम प्रावधानों के अधीन प्रभावी होंगे।"

राष्ट्रपति और राज्यपाल के दायरे और शक्तियों पर चर्चा करना। अनुच्छेद 309 के तहत, बी. एस. यादव बनाम हरियाणा राज्य ए. आई. आर 1981 एस. सी 561 के मामले में इस अदालत की एक संविधान पीठ, जो निम्नानुसार अभिनिर्धारित है;

> " यह इस संदर्भ में है कि अनुच्छेद 309 ए का परंतु यह प्रासंगिकता और महत्व रखता है।राज्य विधानमंडल भर्ती को विनियमित करने वाले कानूनों को पारित करने की शक्ति है और राज्य के न्यायिक अधिकारियों की सेवा की शर्तें।लेकिन यह सक्षम करने के लिए एक उपयुक्त प्रो दृष्टि बनाने के लिए आवश्यक था उस शक्ति का प्रयोग तब तक जब तक कानून पारित नहीं हो जाता उस विषय पर कानून। संविधान इसके द्वारा प्रदान करता है पर्याप्त साक्ष्य प्रदान करता है कि यह एक निर्वात को नापसंद करता है।इसमें है।

इसलिए उत्पन्न होने वाली स्थितियों से निपटने के लिए प्रावधान किए गए किसी शक्ति के अंतिम भंडार के कारण नहीं उस शक्ति का प्रयोग करें।अनुच्छेद 309 के प्रावधान में कहा गया है,जहाँ तक सामग्री में बात है, कि जब तक राज्य विधानमंडल एक सी. सी. पारित नहीं करता है विशेष विषय पर कानून, यह सक्षम होगा राज्य के राज्यपाल को विनियमित करने वाले नियम बनाने के लिए न्यायिक की भर्ती और सेवा की शर्तें राज्य के अधिकारी।राज्यपाल इस प्रमेंर कदम उठाता है जब विधायिका कार्य नहीं करती है।द्वारा प्रयोग की गई शक्ति इस प्रकार परंतुक के तहत राज्यपाल एक शक्ति है जिसे डी वैधानिकता व्यायाम करने के लिए सक्षम है लेकिन वास्तव में पशु चिकित्सक नहीं है व्यायाम किया।यह समान रूप से विशेषताओं को लेता है लेसिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव नहीं, पावर।यह विधायी है।शक्ति। कि इसलिए, हमारे संविधान के तहत राज्यपाल के पास विधायी शक्ति है, यह निर्विवाद है। अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत राज्यपाल की शक्ति विधायी शक्ति की प्रकृति में होने के बारे में कुछ भी अनोखा नहीं है। अनुच्छेद 158 के अनुसार, किसी राज्य का राज्यपाल विधायिका या राज्य का एक हिस्सा है और राज्यपाल द्वारा विधायी शक्ति का सबसे स्पष्ट प्रयोग अनुच्छेद 2l3 द्वारा उसे अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है जब विधायिका सत्र में नहीं है, उस अनुच्छेद के तहत, वह एक का प्रयोग करता है उसी प्रकार की शक्ति जिसका प्रयोग विधायिका सामान्य रूप से करती है, कानून बनाने की शक्ति। संविधान के भाग VI के अध्याय IV का शीर्षक, जिसमें अनुच्छेद 213 आता है। महत्वपूर्ण है: राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ" अनुच्छेद 309 के

प्रावधानों के तहत उचित नियम बनाने की राज्यपाल की शक्ति उसी प्रकार की है। यह विधायी शक्ति है। अनुच्छेद 213 के तहत वह विधायिका का स्थान लेता है क्योंकि विधायिका अवकाश में है। अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत, वह विधायिका का स्थान लेता है क्योंकि विधायिका ने अभी तक इस विषय पर उचित कानून पारित करने की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया है।"(इस न्यायालय द्वारा जोर दिया गया)

अनुच्छेद *77* (3), 166 (3) के तहत शक्तियों के बीच अंतर और 309, नियम और विनियमों के निर्माण के संबंध में चर्चा की गई।सम्पत प्रकाश बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य एआईआर 1970 एससी 1118 के मामले में इस अदालत की संविधान पीठ द्वारा, निम्नानुसारः-

" एक उदाहरण के रूप में, अनुच्छेद *77* (3) के तहत राष्ट्रपति,और, अनुच्छेद 166 (3) के तहत किसी राज्य के राज्यपाल को भारत सरकार या राज्य सरकार के कामकाज के लिए अधिक सुविधाजनक लेन-देन नियम बनाने के लिए अधिकार है जैसा कि मामला हो सकता है और इसके लिए उक्त व्यवसाय के मंत्रियों के बीच आवंटन करे । अगर इसके लिए इन प्रावधानों की व्याख्या, धारा 21 सामान्य खंड अधिनियम लागू नहीं होता है, परिणाम यह होगा कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा एक बार बनाए गए नियम लचीले नहीं होते हैं और उनके बीच व्यवसाय का आवंटन होता है मंत्री हमेशा पहले के अनुसार बने रहेंगे। नियम स्पष्ट रूप से, समय-समय पर इन नियमों में संशोधन करने की शक्ति समय के अनुसार बदलती मुकदमों के अनुरूप अस्तित्व में होना चाहिए और उस शक्ति को केवल इन वस्तुओं में

लागू करके मिला जा सकता है सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 और भी हैं। संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत समान नियम बनाने की शक्तियाँ, जैसे कि शक्ति सेवा नियम करने की।उस शक्ति का समय-समय पर प्रयोग भी किया जाना चाहिए और उसमें उन नियमों में से किसी को जोड़ने, संशोधित करने, संशोधित करने या रद्द करने की शक्ति भी शामिल होनी चाहिए।"(इस न्यायालय द्वारा जोर दिया गया)

40. संवैधानिक प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है और इस अदालत की संविधान पीठों द्वारा दिए गए निर्णयों को ऊपर संदर्भित किया गया है कि अनुच्छेद 77 (3), 166 (3) और 309 के तहत शक्तियां पूरी तरह अलग-अलग क्षेत्र में काम करती हैं।यह इस प्रकार स्पष्ट होगा हो कि अभ्यास में बनाए गए नियम अनुच्छेद 77 (3) और 166 (3) के तहत शक्ति की तुलना नहीं की जा सकती है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत शक्ति का प्रयोग करना और नियम बनाना और भर्ती के लिए विनियम और व्यक्तियों की सेवा की शर्तें संघ के मामलों के संबंध में ऐसे पदों पर नियुक्त सरकार या राज्य सरकार।यही कारण है कि वैधानिक नियम 9 (2) (बी) (1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग और (सी. सी. एस. (पेंशन) नियम, 1972 की तुलना शक्ति के साथ नहीं की जा सकती है।भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 (2) के तहत प्रयोग किया गया। वैधानिक मामलों में भारत के संविधान के राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय और न्यायालय अनुच्छेदों 226 और 32,के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।डॉ.यशवंत त्र्यंबक (ऊपर), इस अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायिक शक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा शक्ति के कार्यकारी प्रयोग के मामले में पुनर्विलोकन उपलब्ध नहीं है।उन्होंने कहा कि उक्त मामले में इस अदालत द्वारा की गई टिप्पणी परम पावन केशवानंद भारती श्रीपदगलवारु अन्य बनाम केरल और उत्तर प्रदेश राज्य (1973) 4

एससीसी 225 के ऐतिहासिक फैसले में इस अदालत के फैसले के मद्देनजर कानून में मान्य नहीं है, जिसमें इस अदालत ने स्पष्ट रूप से माना है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति है भारत के संविधान की मूल संरचना का हिस्सा। निर्णय का प्रासंगिक भाग यहां नीचे दिया गया है :

> "राज्य में पतंजलि शास्त्री, सी.जे. की टिप्पणियाँ ऑफ मद्रास बनाम वी.जी. पंक्ति' जो लोकस क्लासिकस बन गई है इस संबंध में केवल दोहराए जाने की आवश्यकता है।न्यायिक समीक्षा न्यायालयों द्वारा "किसी झुकाव की इच्छा से नहीं" किया जाता है एक योद्धा की भावना में विधायी अधिकार। लेकिन निर्वहन में संविधान द्वारा उन पर स्पष्ट रूप से निर्धारित कर्तव्य का पालन किया गया।" उत्तरदाताओं ने यह भी तर्क दिया है कि अदालत को जाने दिया जाए संवैधानिक संशोधनों पर न्यायिक समीक्षा होगी मतलब राजनीतिक सवालों में अदालत को शामिल करना. इसके लिए उत्तर लॉर्ड पोर्टर के शब्दों में दिया जा सकता है ऑस्ट्रेलिया का कॉमनवेल्थ बनाम बैंक ऑफ न्यू साउथ वेल्स :
>
> "हल की जाने वाली समस्या अक्सर राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक रूप से इतनी कानूनी नहीं होगी, फिर भी इसे कानून की अदालत द्वारा हल किया जाना चाहिए।जहाँ विवाद है यहाँ की तरह सिर्फ इतना ही नहीं राष्ट्रमंडल और नागरिकों के बीच लेकिन एक ओर राष्ट्रमंडल और मध्यवर्ती राज्य और दूसरी ओर नागरिक और राज्य, यह केवल अदालत है जो कर सकता है इस मुद्दे को तय करें, संसद की आवाज उठाना व्यर्थ है।"

इसका संकेत देने के लिए संविधान में ही पर्याप्त साक्ष्य हैं कि यह कारण से नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली बनाता है जिन शक्तियों का इतना वितरण हुआ कि तीनों में से कोई भी नहीं इसके द्वारा स्थापित अंग इतने प्रबल हो सकते हैं कि अक्षम हो सकते हैं। अन्य शक्तियों का प्रयोग और निर्वहन करने से और उन्हें सौंपे गए कार्य हालांकि संविधान कठोरता के साथ अपने सभी क्षेत्रों में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को निर्धारित नहीं करता है जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में मामला है अभी तक यह एक हद तक इस तरह के अलगाव की परिकल्पना की गई है जैसा कि रणसिंघे का मामला मे पाया गया था, न्यायिक पुनर्विलोकन स्पष्ट रूप से प्रदान की गई है हमारे संविधान में अनुच्छेद 226 और 32 के माध्यम से एक विशेषताओं है जिन पर जाँच और संतुलन प्रणाली निर्भर करती है"।

इस न्यायालय द्वारा डॉ. यशवंत त्रिंबक के मामले में की गई टिप्पणी (सुप्रा) इस हद तक कि मंजूरी के आदेश दिए गए राज्यपाल न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हैं, कानून की दृष्टि से अस्थिर हैं। यह न केवल इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त संदर्भित कानून के विपरीत है, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(2) और 166(2) के प्रावधानों के भी विपरीत है। इसलिए, इस तथ्य की स्थिति पर इसका कोई लागू नहीं होता है क्योंकि राष्ट्रपति ने अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 9 (2) (बी) (आई) के तहत मंजूरी देने के लिए अपनी वैधानिक शक्ति का प्रयोग किया है। लेकिन अपीलकर्ता के खिलाफ कार्यकारी कार्रवाई नहीं। ।

41. तत्काल.मामले में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी की कार्रवाई है सीसीएस की व्याख्या इस कारण से कानून में अस्थिर है (पेंशन) नियम, 1972 जिसे विद्वान एएसजी

द्वारा बनाने की मांग की गई है उत्तरदाताओं की ओर से यह अपील भारत के संविधान के अनुच्छेद III के तहत अपीलकर्ता को गारंटीकृत मौलिक अधिकारों से वंचित करने के समान है। इसलिए, हमें यह मानना होगा कि सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के रूइक 9(2)(बी)(i) के तहत भारत के राष्ट्रपति से मंजूरी प्राप्त करने के बाद अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही रद्द की जा सकती है।

बिन्दु क्रमांक ख्या 3 का उत्तर

42. उपरोक्त कारणों से, हम कानून के प्रश्नों का उत्तर देते हैं जो अपीलकर्ता के पक्ष में इस न्यायालय के विचारार्थ उठा। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने रिट अपील की अनुमति देकर गलती की 2011 की संख्या 39 और 40। इसलिए, आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है और तद्नुसार, खारिज किया जा सकता है

43. हालाँकि हमने बनाये गये कानून के सवालों का जवाब दे दिया है यह मामला अपीलकर्ता के पक्ष में है और इन अपीलों को स्वीकार करते हुए आक्षेपित फैसले को रद्द कर दिया गया है, हालांकि, अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करते हुए, हम अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश देते हैं। प्राधिकरण को अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने और कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार छह महीने के भीतर समाप्त करने का अधिकार है। यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा उक्त समय अवधि के भीतर इसे पूरा नहीं किया जाता है, तो इस आदेश में इस न्यायालय द्वारा उत्तरदाताओं को दी गई स्वतंत्रता उनके लाभ के लिए मायने नहीं रखेगी।

44. अपीलों को आंशिक रूप से केवल उत्तर देने की सीमा तक ही अनुमति दी जाती है तैयार किए गए कानूनी प्रश्न और आक्षेपित निर्णय और आदेश को उत्तरदाताओं

को दी गई उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ उस सीमा तक रद्द किया जाता है। सभी लंबित आवेदनों का निस्तारण कर दिया गया है। कोई लागत नहीं.

कल्पना के. त्रिपाठी

अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।